


राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : संस्था.-2/ 2023/8098

दिनांक : 23/08/2023

अधिसूचना

सिण्डीकेट के विनिश्चय संख्या 13-1.37, दिनांक 28-06-2023 के अनुसरण में राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-गुप-2) विभाग द्वारा दो, या दो से अधिक सन्तानों वाले कार्मिक के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1) कार्मिक/क-2/ 95/ पार्ट, जयपुर, दिनांक 16-03-2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में यथावत् लागू किया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन भी यथावत् लागू माने जायेंगे।



(कालूराम)
कुलसचिव

क्रमांक : संस्था.-2/ 2023/8099-8190

दिनांक : 23/08/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजभवन, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल/ केन्द्रीय पुस्तकालय/ प्रबन्धन/ गाँधीयन स्टडीज आदि, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. मुख्य आवासाधिकारी (छात्र/ छात्रा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. समस्त उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. वरिष्ठ निजी सहायक-कुलपति/ कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
13. इन्फोनेट से-टर, रा. वि. वि. जयपुर


(श्रुति शेखावत)
उप कुलसचिव (संस्था.-2)